

## सूचना का अधिकार – मानव अधिकार : वर्तमान परिप्रेक्ष्य\*\*

– न्यायमूर्ति श्री आर. सी. लाहोटी\*

21वीं सदी का समाज इस बात को स्वीकार करने लगा है कि सूचना का अधिकार भी मानव अधिकार का दर्जा रखता है और आज का परिप्रेक्ष्य अर्थात् आज का परिदृश्य जिसका प्रतिबिम्ब लगभग प्रतिदिन समाचार पत्रों में देखने में मिल रहा है, उसका समाधान सूचना के अधिकार में है। सूचना का अधिकार ऐसा मौलिक आधारभूत और अपरिहार्य अधिकार है जिसके अभाव में न तो मनुष्य का व्यक्तित्व पूरी तरह विकसित हो सकता है और न ही उसके अन्य मानव अधिकारों का संरक्षण और प्रभावी प्रयोग हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को श्रेय जाता है कि उसने इस अधिकार की ओर संपूर्ण विश्व का ध्यान आकर्षित किया और इस अधिकार की स्थापना के लिए विश्वव्यापी आंदोलन का सूत्रपात किया। 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर उद्घोषित कर दिया था कि सूचना की स्वतंत्रता एक मूलभूत मानव अधिकार है और यह उन सभी प्रकार की स्वतंत्रताओं की कसौटी है जिनके प्रति संयुक्त राष्ट्र प्रतिबद्ध है।

जिस सूचना के अधिकार के प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ प्रतिबद्ध है, उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए भारत का राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग भी कटिबद्ध है। आयोग का संकल्प है कि उस आदर्श की मंजिल तक भारत के प्रत्येक मनुष्य को पहुँचाने के प्रयास में अपनी भूमिका सक्रिय होकर निभायेगा। यह जानकर और देखकर एक सुखद अनुभूति होती है कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग एक ऐसी सशक्त संस्था बनकर उभरी है जो केवल नागरिकों के अधिकारों का ही संरक्षण नहीं करती अपितु वह मानव के उन अधिकारों का भी संरक्षण करती है जो नैसर्गिक हैं, शाश्वत हैं, स्वयंभूत हैं, अनिवार्य हैं और अपरिहार्य हैं।

मेरे मन में यह विचार उठता है कि मानव अधिकार, सूचना का अधिकार और यह संगोष्ठी—जिसका आयोजन कर रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। क्यों? क्यों यह आयोग बनाना पड़ा? मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की उद्देशिका कहती है – मानव अधिकार के बेहतर संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग तथा उससे संबंधित आनुसंगिक विषयों को समाविष्ट करने हेतु अधिनियम। इसका अर्थ यह हुआ कि इस आयोग की स्थापना मानव अधिकार के 'बेहतर संरक्षण' के लिए हुई है। लेकिन 'बेहतर संरक्षण' तो तब हो कि जबकि इस आयोग के बिना 'संरक्षण' हो रहा हो। यह आयोग तो मानव अधिकारों के 'संरक्षण' के लिए है; 'बेहतर संरक्षण' की बात तो अलहदा है। मेरे मन में एक प्रश्न उठता है कि प्रजातंत्र की यह कैसी विडंबना है कि जिन्हें देश के लोग चुनते हैं, जिनके हाथों में सत्ता सौंपते हैं और जिन्हें शासक बनाकर स्वयं को 5 वर्ष के लिए शासित बना लेते हैं, उन्हीं के द्वारा संचालित और नियंत्रित शासन और सत्ता के अंग मानवाधिकारों का सर्वाधिक उल्लंघन करते हैं। चुनाव के पहले मतदाता सशक्त होता है और संभावित जन-प्रतिनिधि विनम्र। चुनाव होते ही मतदाता याचक हो जाता है और जनप्रतिनिधि निश्चित, प्रजातंत्र में मानव अधिकारों का हनन होते देखकर ऐसे परिदृश्य पर लखनऊ के शायर कृष्ण बिहारी 'नूर' ने बड़ी पैनी और माकूल टिप्पणी की है। दो पंक्तियों में वह मतदाता की ओर से लिखते हैं –

---

\* पूर्व मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय, भारत

\*\* आयोग द्वारा "सूचना का अधिकार, मानव अधिकार : वर्तमान परिप्रेक्ष्य" विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के अवसर पर दिया गया मुख्य भाषण।

मैं जिसके हाथों में एक फूल देके आया था,  
उसी के हाथ का पत्थर मेरी तलाश में हैं।

इस बदले हुए परिदृश्य में मानव अधिकारों की रक्षा करती हैं न्यायालय, निर्वाचन आयोग, मानव अधिकार आयोग जैसी संस्थाएं, जिनमें चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होते। ये प्रजातंत्र की विडम्बना है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और जिन्हें मतदाताओं ने चुना नहीं है वह मानव अधिकारों का संरक्षण करते हैं, अथवा जैसा कि इस विधान की उद्देशिका कहती है कि श्रेष्ठतर संरक्षण करते हैं। प्रजातंत्र में जहां अज्ञान का अंधकार होता है, वहीं मानवाधिकारों का सबसे अधिक उल्लंघन होता है। सूचना का अधिकार वह दीपक है जो जागृत होते ही ज्ञान के आलोक का आह्वान करता है। ज्ञान का आलोक जिसकी किरणों में अज्ञान से प्रसूत अन्याय के अभिशाप को आमूल नष्ट कर देने की क्षमता है और तदनन्तर राष्ट्रपिता बापू का भजन — उनकी इस पंक्ति का भाव — राष्ट्र और प्राणी मात्र से प्रेम रखने वाले प्रत्येक भारतवासी के मन में उदित होकर नर्तन करने लगता है—

**“वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीर पराई जाने रे।”**

यही मानव अधिकार है, मानव अधिकार की नींव है, मानव का मानव के प्रति कर्तव्य का आह्वान है।

सूचना का अधिकार महत्वपूर्ण है। प्रजातंत्र के लिए बेशकीमती है। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 19 और 21 की व्याख्या करते हुए यह कहा है कि मनुष्य का ससम्मान सार्थक जीवन जीने के लिए सूचना प्राप्त करने और सूचना देने का अधिकार होना चाहिए। मानव अधिकारों का हमारे समाज में उल्लंघन होता है किन्तु इस पर चिंता की नहीं, चिंतन की आवश्यकता है। प्रजातंत्र में सूचना के अधिकार का उल्लंघन होना अवांछनीय है। मेरे प्रदेश — मध्य प्रदेश के एक कवि हुए हैं — बाल कृष्ण बैरागी। वह मेरे स्वर्गीय पिताजी के मित्र रहे हैं। मेरे पिताजी अब नहीं रहे किन्तु बैरागी जी ईश्वर की कृपा से अभी हैं, स्वस्थ हैं। यह दोनों राजनीति के उस जमाने में सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, जिस जमाने में राजनीति समाज की सेवा के भाव से की जाती थी। बैरागी जी ने एक बड़ी अच्छी रचना लिखी है। लम्बी रचना है — “साधना का नया आयाम”। जिस पुस्तक में यह रचना संग्रहीत है उस पुस्तक का नाम है “आलोक का अट्टहास”। इस लम्बी रचना के केवल तीन पद मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। सूचना के अधिकार की महत्ता इससे प्रकट होगी। बैरागी जी लिखते हैं — हम भारतवासी क्या थे, क्या हो गए। हमारे शासक क्या होना चाहिए थे, क्या हो गए। वह लिखते हैं —

सूर्योपासक पुरखों की  
संतानों का यह जुलूस  
अजीब है।  
शनैः शनैः अभ्यस्त  
हो गए हैं ये अंधेरे के।

प्रत्येक चाहता है कि  
या तो सूरज रहे  
उसकी ही मुट्ठी में कैद  
या फिर उगे ही नहीं।

ये वादा करते हैं  
सूरज उगाने का  
पर उगाते हैं अंधेरा  
और वह भी घना।

सूर्योपासक अंधेरे के अभ्यस्त हो गए हैं। वे नहीं जानते कि जीवन की सार्थकता रोशनी में जीने में है। बैरागी जी की रचना इस सत्य का एक शब्द चित्र है, बहुत सटीक। सूचना का अधिकार, अंधकार में जीने के अभ्यस्त हो चुके लोगों के बीच प्रकाश के आगमन को निमंत्रण है।

कोई भी अधिकार पूर्ति के लिए कर्तव्य भी चाहता है। हम सभी का कर्तव्य है कि इस अधिकार के अस्तित्व, उपलब्धता और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की प्रक्रिया से उन सभी को अवगत कराएं, जिन्हें उसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। सूचना के अधिकार का प्रचार-प्रसार होना चाहिए। दीपावली पर पूजा के थाल में रखे दीपक उठाकर घर के हर कोने में रखने पर ही दीप मालिका का प्रकाश अंधेरे कोनों तक प्रकाश की किरणें पहुंचाता है। आसमान में उगे सूरज की रोशनी घर में तब तक प्रवेश नहीं कर सकती, जब तक दरवाज़े और खिड़कियाँ खोल न दी जाएं। यही काम आपको और हम सबको करना है।

सूचना का अधिकार भारत की जनता को सहज ही प्राप्त नहीं हो गया है। इसके लिए अनेकों ने कड़ा संघर्ष किया है। हमें सतर्क रहना है कि इस अधिकार का शिथलीकरण न होने पाए। मानव अधिकारों के प्रति हमारा विश्वास और आदर का भाव होना चाहिए। अपने अधिकारों के प्रति और अन्य नागरिकों, अन्य मानवों के अधिकारों के प्रति भी। चाहे उस अधिकार के निर्वहन के लिए हमें अपने अधिकारों का परित्याग कर अपने कर्तव्य का पालन करना पड़े। हमें विश्वास होना चाहिए, अति विश्वास होना चाहिए कि यदि हम सक्रिय होंगे तो इस देश के वासियों को अवश्य मानव अधिकार मिलेंगे और उनका संरक्षण हो सकेगा।

यकीं के नूर से रोशन हों रास्ते अपने  
ये वो चिराग़ है कि तूफ़ान जिसे बुझा न सका

.....